

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

देशभर में कंब लागू होगा एसआईआर ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया बड़ा अपडेट

Publisher

Published on 07 Oct 2025



देशभर में चुनावी तैयारियों के बीच अब मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) **ज्ञानेश कुमार** ने इस विषय पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि देश के सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियाँ पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और अद्यतन रहें। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मकसद यह है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटे नहीं और किसी भी मृत, स्थानांतरित या अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में न रहे। यह कदम भारत के चुनावी तंत्र को और अधिक मजबूत, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वर्तमान में आयोग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांग रहा है ताकि क्षेत्रवार प्रगति का आकलन किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद ही आयोग यह तय करेगा कि एसआईआर को औपचारिक रूप से कब और कैसे लागू किया जाए। सूत्रों के अनुसार, इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ महीनों में आयोग इस पर अंतिम निर्णय की घोषणा कर सकता है।

ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि कई राज्यों में पहले से ही प्राथमिक स्तर पर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसमें स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाता जानकारी की जांच कर रहे हैं। जिन राज्यों में हाल ही में विधानसभा या निकाय चुनाव हुए हैं, वहाँ पहले से अद्यतन मतदाता सूचियाँ तैयार की जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

निर्वाचन आयोग के इस कदम को लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल, लंबे समय से यह शिकायतें आती रही हैं कि मतदाता सूचियों में दोहराव, पुराने नाम और फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ मामलों में पात्र नागरिकों के नाम सूची से गायब पाए गए हैं, जिससे मतदान अधिकार प्रभावित हुआ है। ऐसे में एसआईआर के माध्यम से आयोग इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की कोशिश कर रहा है।

जानकारों का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से न केवल मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि भविष्य में डिजिटल इलेक्टोरल रोल (Digital Electoral Roll) की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह प्रक्रिया चुनावों में तकनीक के बेहतर उपयोग और पारदर्शिता बढ़ाने के आयोग के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप है।

इसके साथ ही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी संकेत दिया कि इस बार एसआईआर में तकनीक की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी। आयोग डिजिटल सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे विकल्पों को भी शामिल करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं को सूची में जोड़ने के लिए “मेरी वोट मेरी पहचान” जैसी डिजिटल पहल को भी और व्यापक रूप में लागू किया जाएगा।

आयोग का लक्ष्य है कि आने वाले आम चुनावों से पहले देशभर में एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके। इसके लिए राज्य चुनाव अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नए मतदाता, विशेषकर 18 से 21 वर्ष की आयु के युवा, अपने नाम सूची में समय पर दर्ज करा सकें।

इस बीच, आयोग ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी की जांच करे और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत सुधार के लिए आवेदन करे। उन्होंने यह भी बताया कि अब ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी यह प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है।

राजनीतिक दलों ने भी एसआईआर के प्रस्ताव का स्वागत किया है, हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए ताकि किसी भी तरह का राजनीतिक पक्षपात न हो। भाजपा ने इसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि आयोग को इस प्रक्रिया में सभी पक्षों को शामिल करना चाहिए ताकि मतदाता सूचियों में किसी प्रकार का असंतुलन न आए।

आगामी महीनों में जब एसआईआर को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा, तब यह भारत के चुनावी इतिहास का एक अहम कदम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से न केवल चुनाव की प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि इससे चुनावों की तैयारी में भी समय और संसाधनों की बचत होगी।

कुल मिलाकर, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की दिशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह बयान आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी को और व्यापक बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग के उस अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जब देशभर में एसआईआर को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा — जो भारत के लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेगा।